न्यायालयः श्री नन्द किशोर जी0आर0 सं0– 569/2018

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, विचारण सं0– 265/2026

व्यवहार न्यायालय, अरवल। रामपुर चौरम थाना कांड सं0– 20/2018

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम,
जिला–अरवल, बिहार

निर्णय की तिथि – 17.07.2026

उपस्थितः श्री नन्द किशोर

जी0आर0 सं0– 569/2018
रामपुर चौरम थाना कांड सं0– 20/2018

सूचक	बच्चा सिंह
अभियोजन की तरफ से	श्री मृत्यंजय कुमार, सहायक लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. राजनंदन सिंह, उम्र– 54 वर्ष, 2. चितरंजन उर्फ विकास कुमार, उम्र– 46 दोनों पिता– स्व0 हरिहर सिंह, 3. विपीन कुमार, उम्र– 33 वर्ष, 4. गौतम कुमार, उम्र– 36 वर्ष, दोनों पिता– स्व0 कृष्णा सिंह। सभी ग्राम–खभैनी, थाना– रामपुर चौरम, जिला– अरवल।
प्रतिरक्षा के तरफ से	श्री अनिल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता

संज्ञान अन्तर्गत धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0।

आरोप अन्तर्गत धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0।

1.घटना की तिथि	12.01.2018
2.प्रथम सूचना तिथि	07.06.2018
3.संज्ञान की तिथि	28.08.2018
4.आरोप का गठन की तारीख	29.08.2019
5.साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	17.10.2019
6.निर्णय पर निर्धारित करने की तिथि	04.07.2026
7.निर्णय कि तिथि	17.07.2026
8.सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो,	

न्यायालयः श्री नन्द किशोर **जी0आर0 सं0– 569/2018**

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, **विचारण सं0– 265/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **रामपुर चौरम थाना कांड सं0– 20/2018**

अभियुक्त	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएं	दोषमुक्त या दोषसिद्वि
1.	राजनंदन सिंह	20.06.2018	20.06.2018	धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0	दोषमुक्त
2.	चितरंजन उर्फ विकास कुमार	20.06.2018	20.06.2018		
3.	विपीन कुमार	20.06.2018	20.06.2018		
4.	गौतम कुमार	20.06.2018	20.06.2018		
			,,		

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में उपर नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण अंतर्गत धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0 में प्रारंभ किया गया।

2. संक्षेप में सूचक का कथन यह है कि दिनांक 12.01.2018 को खेत का बांध काटने को लेकर मारपीट हुई थी। पूर्वजों के द्वारा खेत का बंटवारा हो गया था, सभी लोग शान्तिपूर्ण तरीके से अपने–अपने दखल–कब्जा में खेती कर रहे थे, लेकिन अभियुक्तगण ने नाजायज तरीके से हड़पने के नियत से सूचक के खेत का बांध काटकर अपने खेत में मिला रहे थे। मना करने पर अभियुक्त कृष्णा सिंह ने बच्चा सिंह को कुदाल से मारा जिससे उनके पीठ पर चोट लगी तथा राजनंदन सिंह ने बच्चा सिंह के हाथ से काजल घड़ी खोल लिया तथा खेत में लगे मसुर, एवं खेसारी का फसल जिसकी कीमत करीब– 1000/– रूपये का काट लिया और बांध काटने से करीब– 4000/– रूपये की क्षति हुई।

प्रक्रियात्मक इतिहास

3. प्रस्तुत मामले में दिनांक 28.08.2018 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0 में संज्ञान लिया गया। मामले के दिनांक 29.08.2019 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0 में आरोप का गठन गया। मामले में अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया तथा कृष्णा सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसका आवेदन सह मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.09.2024 को दाखिल किया गया है। यह कि अभियोजन की तरफ से 02 साक्षियों का साक्ष्य हुआ है। साक्ष्य बंद किया गया, अभियुक्तगण का द0प्र0सं0 की धारा– 313 में बयान लिया गया, प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया ।

CIVIL Court, Arwal

न्यायालयः श्री नन्द किशोर **जी0आर0 सं0– 569/2018**

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, **विचारण सं0– 265/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **रामपुर चौरम थाना कांड सं0– 20/2018**

अवधारण के लिए प्रश्न

4. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन आरोप को साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

5. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में उपर्युक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपित अपराध का विचारण किया गया। अभियोजन की तरफ से 02 साक्षी उपस्थित हुए। प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन साक्षी का नाम इस प्रकार से हैः–
अभि.साक्षी–01. लव कुमार,
अभि.साक्षी–02. विकास कुमार,
प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतिरक्षा की तरफ से न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार मामले पर विचार किया जाता हैः–

अभि0 साक्षी सं.01 लव कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 12.01.2018 के 12 बजे दिन की है। घटना के समय मैं घर पर था। घटना सुनकर घटनास्थल पर गया तो देखा कि कृष्णा सिंह, चितरंजन कुमार व राजनंदन सिंह, विपीन कुमार, गौतम कुमार सभी मिलकर मेरे पिताजी को गाली दे रहे थे। कृष्णा सिंह कुदाल उठाकर मेरे पिता के सिर पर मारा, पिताजी सिर बचाये तो पीठ पर चोट लगा। पिताजी के गिरने के बाद सभी लोग मारपीट कर घड़ी छीन लिये। बाबू साहब मेरे चाचा बचाने आये तो उनके साथ भी मारपीट किया गया। मेरे खेत में से मसुरी व खेसारी अभियुक्तगण काट लिये। न्यायालय में राजनंदन सिंह उपस्थित है, शेष अभियुक्तगण को देखकर पहचानने का दावा करते हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तों के साथ जमिनी विवाद चल रहा है। राजनंदन सिंह जमीन संबंधी मुकदमा किये है। अभियुक्तगण गोतिया है, आपस में खेत मिलता है। जमिनी विवाद संबंधी मापी हुआ है। एल.आर.डी.सी. के यहां से क्या निर्णय हुआ है नहीं जानता हूं। अभियुक्तगण स्वयं खेती करवाते है। राजनंदन सिंह सिपाही से रिटायर हुए है।

अभि.साक्षी–02 विकास कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना दो साल पूर्व दिनांक 12.01.2018 की है। उस समय बच्चा बाबू सिंह चाचा के खेत पर थे। खेत का बांध जो चाचा का था कृष्णा सिंह, राजनंदन सिंह, चितरंजन सिंह, विपीन कुमार और गौतम कुमार कुदाल से काटकर फेक रहे थे। चाचा को पीठ पर चोट लगा था, चाचा गिर गये उसके बाद कुछ नहीं हुआ। चाचा का घड़ी राजनंदन सिंह ने निकाला। न्यायालय में चितरंजन उपस्थिति है, शेष को देखकर पहचानने का दावा करते हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षरण में कहा है कि चाचा का खानदानी जमीन है, बंटवारा में मिला है।

6. मामले में प्रतिरक्षा ने बहस करते हुए कहा कि मामले में उपस्थित दोनों साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है, परंतु घटनास्थल पर बाद में आये थे। साक्षी सं0–1 ने कहा कि घटना के बारे में सुनकर वहां पहुंचे। साक्षी सं0– 2 ने भी कहा है कि घटना दो साल पूर्व की

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री नन्द किशोर **जी0आर0 सं0– 569/2018**

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, **विचारण सं0– 265/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **रामपुर चौरम थाना कांड सं0– 20/2018**

है। अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं हुआ है। इस प्रकार से अभियोजन घटना संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की कृपा किया जाए।

7. अभियोजन ने मामले में बहस करते हुए कहा कि मामले में दोनों साक्षी ने घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने की कृपा किया जाए।

8. मामले मे उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। साक्षियों के बयानों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में सूचक का साक्ष्य नहीं हुआ है। मामले में साक्षी सं0– 1 ने घटना का समर्थन किया है, परंतु घटनास्थल पर बाद में आया है। साक्षी सं0– 2 ने घटना का समर्थन किया है, परंतु घटना के समय में घर पर था। घटना की बात सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा। मामले में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं हुआ है। मामले में घटना स्थल प्रमाणित नहीं हो सका है, इसलिए प्रस्तुत मामले में अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है एवं एक अभियुक्त कृष्णा सिंह की ओर से आवेदन सह मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त है। अतः कृष्णा सिंह के विरूद्ध वाद में विचारण दिनांक 26.09.2024 को बंद किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरूद्ध मामले में अभियोजन आरोपित धारा 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0 संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

9. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण **1. राजनंदन सिंह, 2. चितरंजन उर्फ विकास कुमार, 3. विपीन कुमार, 4. गौतम कुमार** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– 147, 324, 427, 379, 504, 506 भा0द0वि0 से **दोषमुक्त** किया जाता है एवं बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः– 17.07.2026 लेखापित एवं संशोधित
स्थानः–व्यवहार न्यायालय, अरवल।

श्री नन्द किशोर
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम,
अरवल, बिहार।

10. यह निर्णयादेश मेरे द्वारा टंकित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–17.07.2026 लेखापित एवं संशोधित
स्थानः–व्यवहार न्यायालय, अरवल।

श्री नन्द किशोर
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम,
अरवल, बिहार।

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री नन्द किशोर **जी0आर0 सं0– 569/2018**

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, **विचारण सं0– 265/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **रामपुर चौरम थाना कांड सं0– 20/2018**

परिशिष्ट

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालय साक्षी की सूची

क–अभियोजन साक्षी की सूची
अभियोजन की तरफ से 02 साक्षी प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन साक्षी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	लव कुमार	साक्षी
2	विकास कुमार	साक्षी

ख–प्रतिरक्षा द्वारा न्यायालय में साक्षी प्रस्तुत नहीं है।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालय प्रदर्श की सूची

क– अभियोजन की तरफ से प्रदर्श प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

ख–प्रतिरक्षा, की तरफ से दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया है।

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

दिनांकः–17.07.2026
स्थानः–व्यवहार न्यायालय, अरवल।

लेखापित एवं संशोधित

श्री नन्द किशोर
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम,
अरवल, बिहार।

Court, Arwal